निर्णय वइजलास श्री दिवांशु शर्मा (आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी बारां जिला बारां द्वारा अध्यासित

प्रकरण संख्या 11/2020
दायरा दिनांक :— 11.02.2020
निर्णय दिनांक :— 26.10.21

उनवान

1. शारदा पत्नी महेन्द्र कुमार जाति धाकड
2. संजू पत्नी सुरेश जाति धाकड निवासीगण मंडोला तह. बारां जिला बारां।

बनाम

1. जोधराज पुत्र मूलचंद जाति धाकड
2. विष्णु प्रसाद पुत्र जोधराज जाति धाकड
3. विजेन्द्र पुत्र जोधराज जाति धाकड निवासीगण फूंसरा तह. व जिला बारां।

वाद अन्तर्गत धारा 188 आर.टी.एक्ट
प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीएक्ट
निर्णय दिनांक :- 26.10.21

अभिभाषक उपस्थित :— 1. श्री ओमप्रकाश मेहता II एडवोकेट — वादी
2 श्री हरिओम चतुर्वेदी एडवोकेट — प्रतिवादी

:: क्रियात्मक आदेश ::

उपरोक्त विवेचानुसार ग्राम इकलेरा पटवार हल्का इकलेरा तहसील बारां की आराजी खात संख्या 397 की ख.नं. 1346 रकबा 4.76 है. ख.नं. 1346/1583 रकबा 0. 53 है. ख.नं. 1347 रकबा 0.16 है. ख.नं. 1658/1346 रकबा 0.14 है. कुल 4 किता कुल रकबा 5.59 है. स्थित है जो विवादित आराजियात है।

प्रार्थीगण के खातेदारी एवं स्वामित्व की आराजी ग्राम इकलेरा में स्थित है।जिसके पास ही अप्रार्थी कम 1 जोधराज के खातेदारी की आराजियात है। प्रार्थीगण शांतिप्रिय नागरिक है जबकि अप्रार्थी कम 1 व उसके दोनो पुत्र अप्रार्थी कम 2 व 3 झगडालू प्रवृति के है जो आये दिन प्रार्थीगण की आराजी पर कब्जा करने का प्रयास करते है व झगडा करने पर आमादा रहते है इसलिए प्रार्थीगण अप्रार्थीगण के विरूद्व अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने की अधिकारीणी है।

प्राथीयांगण की आराजी पर अभी फसल खडी हुई है जिस पर अप्रार्थीगण अपनी ताकत व राजनैतिक प्रभाव के कारण जबरन अप्रार्थी कम 1 के खातेदारी की आराजी के लगवा वाली कुछ हिस्से की फसल पर बार बार अपना अधिकार जमाते है तथा प्रार्थीयांगण को अपनी आराजी में खडी फसल में पानी देने में भी व्यवधान उत्पन्न किया तथा

Signature Not Verified
Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2024.05.31 16:27:45 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
बारॉं

Scanned with CamScanner

[illegible] कब्जा करने [illegible] फसल की [illegible] काटने हुए [illegible] प्रार्थी [illegible] फसल पर [illegible] आराजी पर [illegible] खातेदारी पर [illegible] की अधिकारी पूरा नहीं [illegible] इसलिए प्रार्थीगण [illegible] अपने अधिकारों की रक्षा हेतु अप्रार्थीगण के विरुद्ध [illegible] निषेधाज्ञा [illegible] है।

अप्रार्थीगण द्वारा दिनांक [illegible].2020 को भी [illegible] दी तथा [illegible] दिनांक [illegible].2020 को झगड़ा करने पर आमादा हुए [illegible] तथा पुलिस [illegible] थाना इकलेरा में [illegible] हुई है।

प्रार्थीगण प्रार्थना पत्र [illegible] पर आधारित है [illegible] यदि अप्रार्थीगण अपने मकसद में कामयाब [illegible] सा संतुलन भी इस प्रकार से प्रार्थीगण के पक्ष में है [illegible] किसी भी प्रकार से संभव नहीं हो गए तो प्रार्थीगण को अपूर्णीय क्षति होगी जिसका मुआवजा [illegible] अप्रार्थीगण को जरिये समन है।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिये समन तलब किया गया। अप्रार्थीगण की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र मय काउंटर क्लेम पेश किया गया। प्रार्थी ने अपने पक्ष के समर्थन में नकल जमाबंदी ग्राम इकलेरा सम्वत 2070 खाता सं. 397 पेश की गई एवं स्वयं का शपथ पत्र पेश किया गया। अप्रार्थी द्वारा अपने पक्ष के समर्थन में नकल जमाबंदी ग्राम इकलेरा सम्वत 2070 खाता सं. 130 नकल आदेश दिनांक 28.05.2015 नकल पू.अ. निरीक्षक मु.न. 07/2011 दावा धारा 183 जगदीश जोधराज बनाम शंकरलाल नकल खाता सं. 130 रजि. बामला दिनांक 11.04.2018 नकल जमाबंदी ग्राम इकलेरा सम्वत 2070 विक्रय पत्र दिनांक 07.05.2010 पेश की गई।

बहस अभिभाषक प्रार्थी सुनी गई। बहस के दौरान वकील प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र मे अंकित तथ्यों को दोहराया गया। वकील प्रार्थी का कथन है कि विवादित आराजी प्रार्थी के खातेदारी व कब्जे काश्त में चली आ रही है। प्रार्थी वाके ग्राम इकलेरा मे स्थित है जो प्रार्थी के खातेदारी व कब्जे काश्त मे चली आ रही है। अप्रार्थी क्रम 1 जोधराज व उसके पुत्र की भूमि के पास अप्रार्थी जोधराज की भूमि स्थित है। अप्रार्थी क्रम 1 जोधराज व उसके पुत्र प्रार्थी की भूमि पर जबरन कब्जा करने का प्रयास करते है यदि अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थीगण की भूमि पर जबरन कब्जा कर लिया तो प्रार्थी को अपरिमित क्षति होगी। सेटलमेंट विभाग से सीमाज्ञान कराले कोई आपत्ति नही है। मेरी खाते की जमीन पर जबरन कब्जा करना चाहते है। दोनो महिलाए है। मेरी भूमि मे दखल अंदाजी नही करे। सेटलमेंट से पूर्व का बटवारा हो रहा है। अप्रार्थीगण को मूल वाद के निर्णय तक पाबन्द किया जावें।

बहस के दौरान वकील अप्रार्थी का कथन है कि अप्रार्थीगण व प्रार्थीगण के मध्य सीमा का विवाद हुआ था। जिसका दावा चला इन्होने राजीनामे से 14 एयर भूमि दे दी सीमाज्ञान किया। प्रार्थी मौके पर नही आते है। इनकी भूमि से भी अधिक भूमि पर काबिज है। इनकी भूमि बेसी है। 0.43 है इनके खाते जिसकी भूमि है। वो मौके पर है मै अन्य गाव मे रहते है। पुलिस मे बहुत रिपोर्ट की पर कोई कार्यवाही नही की गई। दिनाक 15.07.2020 को पुलिस की मौजूदगी मे सीमाज्ञान हुआ। इसको भी मानने को तैयार नही है। राजीनामे को भी मानने को तैयार नही है। इसलिए काउटर क्लेम पेश किया है। ये दावा 188 आरटीएक्ट का लेकर आए है। 0.43 है भूमि पडत पडी है। हमको नुकसान हो रहा है। इन्होने विवादित कर रखा है। प्रार्थीगण मेरी ओर बढ रहे है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किया जावें। अप्रार्थी का काउटर क्लेम स्वीकार किया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2024.05.31 16:27:45 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
बारां

Scanned with CamScanner

बहस अभिभाषक उभय पक्षकारान सुनी गई। पत्रावली एवं रिकार्ड का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत नकल जमाबंदी ग्राम इकलेरा सम्वत 2070 खात सं. 397 के अनुसार प्रार्थीगण के खातदेारी में दर्ज होना पाया जाता है। नकल जमाबंदी ग्राम इकलेरा सम्वत 2070 खता सं. 130 के अनुसार जोधराज पुत्र मूलंचद के खातेदारी में दर्ज है। इससे यह साबित होता है कि प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण दोनो के खाते अलग–अलग है। दोनो की भूमि शामलाती खातेदारी में नही होने पर भी प्रार्थी व अप्रार्थीगण के मध्य लडाई झगडा होता रहता है। पूर्व में अप्रार्थी जोधराज द्वारा अप्रार्थी शंकरलाल व अन्य के मध्य दावा प्रस्तुत किया गया जो मुताबिक राजीनामा दावा स्वीकार किया गया। उसके बाद भी प्रार्थी व अप्रार्थीगण के बीच पुनः वाद पत्र पेश किया गया। प्रार्थीयांगण द्वारा बताया कि अप्रार्थीगण अपने हिस्से की भूमि पर जबरन कब्जा करना चाहते है। प्रार्थीयांगण और अप्रार्थीगण दोनो की पुनः सीमा ज्ञान टीम गठित करवाई जावें तथा मूल वाद के निर्णय तथा पक्षकारान को जर्ये अस्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाना न्यायोचित है।

:: क्रियात्मक आदेश ::

उपरोक्त विवेचनानुसार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। अप्रार्थीगण का काउन्टर क्लेम खारिज किया जाता है। विवादित आराजी वाके ग्राम इकलेरा तह. बारां के ख.नं. 1346 रकबा 4.76 है. ख.नं. 1346/1583 रकबा 0.53 है., ख.नं. 1347 रकबा 0.16 है., ख.नं. 1658/1346 रकबा 0.14 है. पर पक्षकारान को मूल वाद के निर्णय तक जर्ये अस्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाता है कि मौके एवं रिकार्ड की यथास्थिति बनाए रखें।

निर्णय लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(दिवांशु शर्मा)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी बारां

उपखण्ड अधिकारी
बारां

Signature Not Verified

Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2024.05.31 16:27:45 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner